परिशिष्ट–1

// पूरक जानकारी //

विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक 3198 द्वारा माननीय विधायक श्री राकेश गिरी

राजस्व अभिलेख का वर्षवार विवरण :–

खसरा वर्ष	खसरा नम्बरो का रकवा सहित विवरण		
	283 रकवा 0.158है0	343 रकवा 0.113है0	147 / 1169 रकवा 0.955
सम्वत वर्ष 2001	हल्लुवा वलुवा व वल्दुवा तनय चरी 1/2 नन्ने तनय खुमान 1/2 जाति लोधी निवासी ग्राम	हल्लुवा वलुवा व वल्दुवा तनय चरी 1/2 नन्ने तनय खुमान 1/2 जाति लोधी निवासी ग्राम	शासकीय बंजर
सम्वत वर्ष 2020 से 2024 तक	हल्लुवा वलुवा व वल्दुवा तनय चरी 1/2 नन्ने तनय खुमान 1/2 जाति लोधी निवासी ग्राम	हल्लुवा वलुवा व वल्दुवा तनय चरी 1/2 नन्ने तनय खुमान 1/2 जाति लोधी निवासी ग्राम	खसरा पंचशाला में पृष्ठ नही है।
सम्वत वर्ष 2025 से 2028 तक	खसरा अभिलेख उपलब्ध नही है।	खसरा अभिलेख उपलब्ध नही है।	खसरा अभिलेख उपलब्ध नही है।
सम्वत वर्ष 2029 से 2033 तक	हल्लुवा पल्टुवा वलुवा तनय चरी नन्ने तनय खुमान जाति लोधी निवासी ग्राम	हल्लुवा पल्टुवा वलुवा तनय चरी नन्ने तनय खुमान जाति लोधी निवासी ग्राम	गोकुल तनय जालमसिंह ठाकुर
सम्वत वर्ष 2034 से 2038 तक	हल्लुवा पल्टुवा वलुवा तनय चन्नी लोधी	हल्लुवा वलुवा वल्दुवा तनय चरी 1/2 नन्ने तनय खुमान 1/2 जाति लोधी निवासी ग्राम	कॉलम नं. 3 रिक्त दर्ज है।
वर्ष 1982–83 से 1986–87 तक	खसरा अभिलेख उपलब्ध नही है।	खसरा अभिलेख उपलब्ध नही है।	खसरा अभिलेख उपलब्ध नही है।
वर्ष 1987–88 से 1997–98 तक	कॉलम नं. 3 रिक्त दर्ज है।	कॉलम नं. 3 रिक्त दर्ज है।	कॉलम नं. 3 रिक्त दर्ज है।
वर्ष 1998–99 से वर्ष 2011–12 तक	हल्लुवा पल्टुवा वलुवा तनय चुन्नी लोधी	हल्लुवा वलुवा पल्टुवा तनय चरी 1/2 नन्ने तनय खुमान 1/2 जाति लोधी निवासी ग्राम	*वर्ष 1997–98 से वर्ष 2007 तक ख.नं. 447 / 1169 रकवा 0.955है0 गोकुल तनय जालम सिंह ठाकुर *वर्ष 2007–2011 तक ख.नं. 1047 / 1169 रकवा 0.955है0 गोकुल सिंह तनय जालमसिंह ठाकुर
वर्ष 2012–13 से 2021–22 तक	हल्लुवा पल्टुवा वलुवा तनय चुन्नी लोधी	हल्लुआ वलुआ पल्टुआ तनय चरी 1/2 नन्ना तनय खुमान 1/2 जाति लोधी निवासी ग्राम	ख.नं.147 / 1169 रकवा 0.955 गोकुल तनय जालमसिंह ठाकुर निवासी ग्राम

तहसीलदार
टीकमगढ

[illegible] 3198

[illegible]

न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त समर्रा तहसील व जिला –टीकमगढ

राजस्व प्रकरण कमांक– 0405/अ–6/2020–21

बब्बूराजा ठाकुर तनय श्री पंचम सिंह ठाकुर निवासी ग्राम जटउवा खास तहसील व जिला टीकमगढ (म0प्र0)

आवेदक

महेन्द्र सिंह ठाकुर तनय श्री मुलायम सिंह ठाकुर, श्रीमती मुन्नी ठाकुर पत्नी श्री मुलायम सिंह ठाकुर ग्राम निवासी ग्राम पठा खास तहसील व जिला टीकमगढ (म0प्र0)

……अनावेदक

–आदेश–

(पारित एवं उद्घोषित दिनांक 08/03/21……)

प्रकरण पेश। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक बब्बूराजा ठाकुर तनय श्री पंचम सिंह ठाकुर निवासी ग्राम जटउवा खास तहसील व जिला टीकमगढ (म0प्र0) द्वारा म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत मौजा जटउवा खास मे स्थित भूमि खसरा नं 466/2 कुल किता 1 कुल रकवा 0.599 हे0 का हिस्सा 1/2 मे से कुल विक्रीत रकवा 0.299 हे0 पर रजिस्टर्ड विकय पत्र कमांक MP421162020A1003418 दिनांक 02.01.2020 के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण शीर्ष अ–6 मे पंजीबद्ध किया जाकर आम इश्तहार जारी किया गया इश्तहार जारी उपरान्त समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई।

हल्का पटवारी से जांच रिपोर्ट ली गई जिसमें हल्का पटवारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम जटउवा खास स्थित भूमि खसरा नं 466/2 कुल रकवा 0.599 हे0 वर्तमान मे शासकीय अभिलेख मे महेन्द्र सिंह ठाकुर तनय श्री मुलायम सिंह ठाकुर, श्रीमती मुन्नी ठाकुर पत्नी श्री मुलायम सिंह ठाकुर ग्राम निवासी ग्राम पठा खास तहसील व जिला टीकमगढ (म0प्र0) के नाम दर्ज है, एवं भूमि बिक्री से प्रतिबंधित नही है। भूमि अविवादित और नही किसी भी बैंक शाखा मे बंधक है। नामान्तरण किया जाना उचित है।

क्रेता/विक्रेता ने उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश किये किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही हुई।

अतः पटवारी प्रतिवेदन प्रदर्श p-1 के आधार पर म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 एव संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 109, 110 के अंतर्गत मौजा जटउवा खास मे स्थित भूमि खसरा भूमि खसरा नं 466/2 कुल किता 1 कुल रकवा 0.599 हे0 का हिस्सा 1/2 मे से कुल विक्रीत रकवा 0.299 हे0 भूमि पर रजिस्टर्ड विकय पत्र कमांक MP421162020A1003418 दिनांक 02.01.2020 के आधार पर विक्रेता महेन्द्र सिंह ठाकुर तनय श्री मुलायम सिंह ठाकुर, श्रीमती मुन्नी ठाकुर पत्नी श्री मुलायम सिंह ठाकुर ग्राम निवासी ग्राम पठा खास तहसील व जिला टीकमगढ (म0प्र0) के स्थान पर क्रेता / आवेदक बब्बूराजा ठाकुर तनय श्री पंचम सिंह ठाकुर निवासी ग्राम जटउवा खास तहसील व जिला टीकमगढ (म0प्र0) का नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। हल्का पटवारी प्रतिवेदन प्रदर्श p-1 मेरे द्वारा हस्ताक्षरित है जो प्रकरण मे सलग्न आदेश का भाग रहेगा।

हल्का पटवारी अभिलेख दुरूस्त कर कम्प्यूटर मे संशोधन उपरान्त 7 दिवस मे पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

बाद प्रकरण दायरा से पृथक होकर अभिलेखागार भेजा जावे।

बोलकर टंकण कराया गया।

[signature] 08/03/21

नायब तहसीलदार

वृत्त समर्रा

विधि/नाराज/क्र० 3198

परिशिष्ट-तीन

न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त समर्रा, तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

क्रमांक / 19 /रीडर / ना०तह० / 2021

दिनांक / 24 /1/2022

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग टीकमगढ

विषय- तत्कालीन हल्का पटवारी श्री नरेन्द्र सिंह परमार के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने बावत।

इस न्यायालय के रा0प्र0क0 405/अ-6/20-21 में पारित आदेश दिनांक 08/09/2021 के द्वारा विक्रेता महेन्द्रसिंह ठाकुर तनय मुलायमसिंह ठाकुर, श्रीमती मुन्नी ठाकुर पत्नि श्री [illegible] ठाकुर निवासी ग्राम पठा खास के भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि खसरा नम्बर 466/2 किता 01 कुल रकवा 0.599 हे0 का 1/2 हिस्सा रकवा 0.299 हे0 स्थित ग्राम जटउवा खास का नामांतरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कमाक MP421162020A1003418 दिनांक 02/01/2020 के आधार पर केता बब्बूराजा ठाकुर तनय [illegible] सिंह ठाकुर निवासी जटउवा खास के नाम नामांतरण स्वीकृत किये [illegible] पारित किया गया था।

तत्कालीन हल्का पटवारी श्री नरेन्द्र सिंह परमार द्वारा भूमि खसरा नम्बर 466/2 के अतिरिक्त मनमाने तरीके से भूमि खसरा नम्बर 283 रकवा 0.158 हे0 खसरा नम्बर 343 रकवा [illegible] हे0 एवं भूमि खसरा नम्बर 147/1169 रकवा 0.955 हे0 पर बब्बू राजा तनय पंचमसिंह ठाकुर निवासी जटउवा खास का नाम राजस्व कम्प्यूटर अभिलेख में दर्ज कर दिया गया था। जिसके [illegible] न्यायालय नायब तहसीलदार समर्रा के प्रकरण कमांक 239/बी-121/2021-22 पारित आदेश दिनांक 28/12/2021 के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि विलोपित कर पूर्ववत भूमि स्वामी का नाम दर्ज किया गया। एैसे प्रकरण मे तत्कालीन हल्का पटवारी श्री नरेन्द्र सिंह परमार द्वारा अपने पदेन कर्तव्य का [illegible] जाना प्रतीत होता है, जो कि म0प्र0 सिविल सेवा (आचरण, नियंत्रण तथा अपील) अधिनियम [illegible] धारा (1)(2)(3) का उल्लंघन है।

अतः तत्कालीन हल्का पटवारी श्री नरेन्द्र सिंह परमार के विरूद्व म0प्र0 सिविल सेवा (आचरण, नियंत्रण तथा अपील) अधिनियम 1966 की धारा (1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना [illegible] है।

अतः [illegible] सादर संप्रेषित है।

24/1/22

नायब तहसीलदार
समर्रा/कुण्डेश्वर
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)